राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मेलन

13 अक्टूबर 2007

म.प्र. की प्रस्तावित पशुधन नीति के जनाभिमुख प्रारूप पर जनता की अनुशंसाए

स्थान

प्रशासन अकादमी, भोपाल

आयोजक

सम्पर्क म.प्र. एवं पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल

सहयोग :– **LAN INDIA**

राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मेलन

13 अक्टूबर 2007

कार्यवाही का विवरण

13 अक्टूबर 2007 को भोपाल की प्रशासन अकादमी सभागृह में सम्पर्क मध्यप्रदेश, झाबुआ और मध्यप्रदेश के पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय पशु पालक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पशुधन नीति के प्रारूप पर चर्चा की गयी। कार्यक्रम का संचालन सम्पर्क मध्यप्रदेश के श्री हरीश पवार ने किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती अर्चना चिटनिस, विधायक, बुरहानपुर ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश योजना मण्डल के उपाध्यक्ष श्री सोमपाल शास्त्री थे। विशेष अतिथि के रूप में प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग श्री राकेश अग्रवाल और पशुपालन विभाग की सचिव श्रीमती शिखा दुबे थीं। राज्य स्तरीय पशुपालकों के सम्मेंलन में मध्यप्रदेश के 10 जिलो से करीब 180 पशुपालकों ने तथा 30 स्वैच्छिक संस्था प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में 46 शासकीय अधिकारीयों ने तथा 24 प्रेस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार कुल 280 लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्जवन से हुई। इसके बाद मंचासीन विभूतियों का अक्षत कुमकुम से और पुष्पगुच्छों से स्वागत किया गया।

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि बताते हुए सम्पर्क, मध्यप्रदेश के निदेशक श्री निलेश देसाई ने कहा कि इस दिन का काफी दिनों से इन्तजार था। इसकी तैयारी करीब पौने दो साल से चल रही है। सम्पर्क संस्था का परिचय देते हुए श्री देसाई ने बताया कि श्री देसाई ने सम्पर्क संस्था का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि सम्पर्क पिछले बीस साल से झाबुआ की पेटलावद और रामा ब्लाक के करीब एक सौ गांवों में काम कर रही है। यह काम एडवोकेसी और विकास के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें लोगों की सहभागिता पर विशेष जोर है। सम्पर्क ने विकासात्क कार्य तो किये ही हैं, आदिवासियों की कुप्रथाओं को समाप्त करने तथा पुरानी उपयोगी प्रथाओं को पुनर्जीवित करने का भी सफल प्रयास किया है। महिलाओ के सशक्तीकरण का काम भी सम्पर्क कर रहा है। सम्पर्क द्वारा किये जा रहे एडवोकेसी के काम के दो आयाम हैं। एक तो सम्पर्क सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में जो कमियां हैं, उनकी ओर शासन का ध्यान दिलाने का काम कर रहा है। दूसरे लोकआधारित नीतियां बनाने के लिये शासन से आग्रह करता रहा है। इस दिशा में जलनीति, भोजन का अधिकार, और काम का अधिकार से संबंधित सरकारी नीतियों को जनाधारित बनाने पर जोर देता रहा है। उसी कड़ी में सम्पर्क राज्य की पशुधन नीति का प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा है। उद्देश्य यह है कि इस प्रारूप पर संस्थाएं, सरकार, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और पशुपालक सभी चर्चा करें और एक सार्थकऔर लोक आधारित पशुधनी नीति राज्य में बनायी जाये। जनसंख्या और मवेशियों की आबादी बढ़ने के कारण और कुछ गैरटिकाऊ तरीके अपनाये जाने के कारण प्राकृतिक संसाधनों, खासकर सार्वजनिक संसाधनों में तेजी से कमी आई

है और इससे गरीब, सीमान्त तथा भूमिहीन किसानों, खासकर महिलाओं पर गंभीर असर डाला है, क्योंकि वे अपनी मवेशियों और अपनी आजीविका के लिये इन संसाधनों पर अवलम्बित रहते हैं।

श्री देसाई ने आगे बताया कि इस समस्या के निदान के लिये Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and Intercooperation (IC) भारत में 1999 से पशुधन–पर्यावरण–विकास संबंधी गतिविधियां हाथ में ले रही हैं। इस दिशा में एक और कदम है LEAD (Livestock Environment and Development) Initiative. इसका लक्ष्य यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊपन को मजबूत बनाकर और उपयुक्त माहौल बनाकर उन गरीबों के अनुकूल आजीविका को बढ़ावा दिया जाय जो पशुधन से संबंधित हैं या जो पशुधन पर आधारित हैं।

LEAD India के मंच के दो खास काम होंगे– एक तो, गहरे ज्ञान पर आधारित पैरवी करना और दूसरा विकास के लिये संचार। LEAD India मंच का पैरवी का काम वाटर शेड संस्थाओं के एक नेटवर्क द्वारा किया जायेगा जिसे LAN (LEAD Advocacy Network) कहा जायेगा। फिलहाल स्।छ में 6 राज्य स्तरीय पार्टनर्स हैं, जो मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में हैं। महाराष्ट्र की एक संस्था WOTR राष्ट्रीय स्तर पर LEAD की एन्करिंग कर रही है और मध्यप्रदेश की सम्पर्क नाम की संस्था ने मध्यप्रदेश में LEAD के एजेण्डा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी ली है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सम्पर्क संस्था द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन हिस्सों में संस्थाओं और लोगों की 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। उपर्युक्त पांचों कार्यशालाओं में विभिन्न वर्गों की नीचे लिखे अनुसार भागीदारी रही–

कार्यशाला	एन जी ओ	शासकीय अधिकारी	किसान	विशेषज्ञ	कुल
ग्वालियर	25	04	02	03	34
जबलपुर	25	00	23	13	61
छिंदवाड़ा	15	03	15	03	36
इंदौर	17	08	16	19	50
झाबुआ	02	04	54	03	63
भोपाल	35	65	12	18	130
कुल	119	84	122	49	374

श्री नीलेश देसाई के वक्तव्य के उपरान्त **पशुधन नीति का प्रारूप तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले श्री के. जी. व्यास** ने बताया कि मध्यप्रदेश की विभिन्न नीतियों में पशुधन से संबंधित क्या प्रावधान हैं और इन प्रावधानों के प्रकाश में राज्य की पशुधन नीति में पशुधन के हित के लिये क्या अवसर दिये जा सकते हैं। उन्होंने दस संदर्भ में राज्य की वन नीति, कृषि नीति, जल नीति, राजस्व नीति, पर्यावरण नीति, पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति और मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की चर्चा की।

इसके उपरान्त मध्यप्रदेश शासन के **पशुधन विभाग के अवर सचिव डा. आर. के. शर्मा** ने स्लाइड प्रेजेन्टशन के जरिये प्रदेश में पशुधन की स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने देश के

सकल घरेलू उत्पाद और प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में तथा देश के आयात और निर्यात में पशुधन की भागीदारी के आंकड़े बताते हुए कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि पशुधन का इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। जहां तक ऊर्जा का प्रश्न है 1991 के आंकड़ों के अनुसार देश में पशुधन से 29840 किलोवाट के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि मानव श्रम से प्राप्त ऊर्जा का ढाई गुना और मशीनों से प्राप्त ऊर्जा का एक तिहाई है। मध्यप्रदेश में भारत की बढ़ोतरी की तुलना में संकर गोवंश, भैंस वंश और बकरा–बकरी वंश के पशुधन में बढ़ोतरी हुई है। 2001–02 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की दर मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय दर से ज्यादा थी, लेकिन 2004–06 में इसमें राष्ट्रीय औसत की तुलना में गिरावट आयी है। अण्डा उत्पादन में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में पिछड़ा है।

श्री शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश गोवंश की संख्या में तो देश में प्रथम है लेकिन गोवंश के दुग्ध उत्पादन में वह आठवें स्थान पर है। इसी प्रकार भैंसवंश संख्या में उसका स्थान चौथा है लेकिन इस वंश के दुग्ध उतपादन में उसका स्थान आठवां है। बकरे–बकरियों की तादाद में वह सातवें स्थान पर है लेकिन इस वंश के दुग्ध उत्पादन में उसका स्थान चौथा है। सकल दुग्ध उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में 7 वें स्थान पर आता है। प्रदेश में 70 फीसदी ग्रामीण परिवार पशुधन पर निर्भर हैं और पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं की 70 फीसदी भागीदारी है।

श्री शर्मा ने बताया कि इन तथ्यों के प्रकाश में प्रदेश मे एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि पशुपालकों को अपने उत्पाद बाजार तक पंहुचने के लिए समान अवसर प्राप्त हों। यह भी मंशा है कि पशुधन के जरिये ग्रामीणों की आय बढ़,, रोजगार बढ़े और उनके जीवन का स्तर बेहतर हो।

श्री शर्मा ने बताया कि राज्य की पशुधन नीति के प्रारूप में जो बिन्दु शामिल होना है, वे हैं– पशु स्वास्थ्य सेवाएं, पशु नस्ल सुधार सेवाएं, डेयरी विकास, कुक्कुट विकास, मॉस पशु विकास, चारा विकास, मानव संसाधन एवं संस्थागत विकास, वैधानिक एवं संस्थागत–मार्केटिंग, मूल्य व गुणवत्ता नियंत्रण, विभिन्न स्रोतों से निवेश, अनुसंधान एवं विकास, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन। जिन इस पर भी बल दिया जाना है कि ग्रामीण पशुपालक की दक्षता का विकास हो, तकनीक का उपयोग हो, समस्त पशुधन का संतुलित विकास हो, पशुधन के मामले में जन सहभागिता बढ़े और पशुपालक संगठित हों। स्थानीय नस्ल का संरक्षण व संवर्धन हो और सरकारी तंत्र में सुधार और विस्तार हो।

तदनन्तर **पशुधन विकास विभाग की सचिव श्रीमती शिखा दुबे** ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह सच है कि मध्यप्रदेश पशुधन नीति के मामले में कुछ सीमा तक पीछे रह गया है। पशुधन आजीविका के लिये महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिवार तभी पूरा माना जाता है, जब उसके यहां पशुधन होता हैं खेती और पशुधन एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि लाभकारी तभी होती है जब उसे पशुपालन की गतिविधियों से जोड़ा जाता हैं उदाहरण के लिये राजस्थान में खेती की जमीन कम होने पर भी ग्रामीण इसलिये अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि उन्होने पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाया है। श्रीमती दुबे ने कहा कि पशुधन इतना महत्वपूर्ण है तो पशुधन नीति भी ऐसी हो जो मार्गदर्शक हो। यह तभी संभव है जब जनता और विभाग दोनों एकदूसरे से सहयोग करें। पशुधन विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह आम जनता को पशुधन की उपयोगिता के बारे में समझाये। पशुधन की नीति का जो प्रारूप आज पेश किया जा है वह

चर्चा के लिये खुला है। आम जनता की आजीविका में पशुधन का जो योगदान होना चाहिये वह अभी होना बाकी है। असल में इस दिशा में कई गतिविधियां करने की गुंजाइश है और गोवंश, बकरी, मुर्गी और सुअर आदि के पालन को अधिक लाभदायी बनाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश शासन के **पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राकेश अग्रवाल** ने कहा कि संपर्क संस्था के श्री निलेश देसाई ने इस काम में जो पहल की है वह महत्वपूर्ण है। अब चुनौती यह है कि हम सब मिलकर इस काम को आगे कैसे बढ़ायें। यह भी हमें याद रखना है कि हम अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह उल्लेखनीय है कि कार्ड संस्था ने छत्तीसगढ़ राज्य की पशुधन नीति तैयार की है और पशुधन विभाग के कर्मचारियों को तथा पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया और उनका उन्मुखीकरण किया। मैं चाहता हूं कि मध्यप्रदेश की पशुधन नीति में दो बातें भी होना चाहिये। एक तो इसमें नयी तकनालाजी का समावेश हो और दूसरे इसमें आम लोगों की भागीदारी भी होना चाहिये। सम्पर्क संस्था के श्री निलेश देसाई ने इस काम में पहल की इसके लिये हम उनके आभारी हैं। एक बात यह भी है कि केवल नीति बनाना ही काफी नहीं है। हमें देखना होगा कि उसका ठीक ढंग से क्रियान्वय भी हो।

इसके बाद सम्पर्क संस्था द्वारा तैयार की गयी एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार सम्पर्क संस्था के कार्यक्षेत्र झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील में, ग्रामीण पशु वैद्य पारम्परिक तरीके से गांवों में कामयाबी से पशुओं का इलाज कर रहे हैं। इस फिल्म में पशु वैद्य जालू गरवाल, वीरालाल चोयल, मांगू परमार, मोहन देवदा और दित्ता सोलंकी के काम को दिखाया गया।

सम्मेलन में पशुवैद्य जालु से पशुओं के इलाज की देशी पद्धति का जायजा लेते सोमपाल शास्त्री

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि **श्री सोमपाल शास्त्री, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग** ने अपने विद्वत्तापूर्ण उद्‌बोधन में कहा कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं उसका स्थान देश के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान है। मैं एक किसान परिवार का हूं और मैंने सभी प्रकार की सिंचाई का काम देखा है। 1951 में देश में 5.10 मिलियन टन अनाज पैदा होता था और देश में अनाज की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिये हमें अमेरिका से सहायता लेना पड़ी और पी एल 480 का गेहूं हमारे देश में 15 साल तक आया। इसके बाद हमारी योजनाओं की कामयाबी के कारण अनाज का उत्पादन तेजी से बढ़ा और अब हालत यह है कि हम 212 मिलियन टन अनाज पैदा कर रहे हैं और अनाज का निर्यात भी कर रहे हैं यह सब देश में हरित क्रान्ति से संभव हुआ जो 7.0 के दशक में देश मे शुरू हुई। हरित क्रान्ति की यह विशेषता थी कि सिंचाई सेस प्रति हेक्टेयर 8 टन तक अनाज पैदा हुआ, जबकि देश में प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार 1

टन है। लेकिन इसका एक पक्ष यह भी है कि हरित क्रान्ति में रासायनिक खाद, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से जमीनस खराब होने लगी। अनाज पैदा करने की लागत भी ज्यादा होने लगी और खेती मंहगा सौदा लगने लगा। धीरे–धीरे सामान्य से 6 गुनी रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाने लगा है और पैदावार की लागत बढ़ गयी है। कई दशकों तक रासायनिक खाद के अनियंत्रित इस्तेमाल के बाद हमें अब महसूस हो रहा है कि गोबर ही ऐसी खाद है जिससे जमीन खराब नहीं होती और पैदावार भी अच्छी होती है।

श्री शास्त्री ने याद दिलाया कि समेकित कृषि होना चाहिये नहीं तो हमें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। हम कितनी ही तकनालाजिकल और औद्योगिक उन्नति कर लें लेकिन यदि खेती लाभकारी नहीं होगी तो अनाज कहां से आयेगा और तब हम इस सारी औद्योगिक उन्नति का क्या करेंगे? 1947 में बीज खाद, कीटनाशक आदि पर खर्च लागत का सिर्फ 7 फीसदी होता था जो अब बढ़करस 55 फीसदी हो गया है। भारत सरकार ने संचार में 2 लाख करोड़ रुपये लगाये और रासायनिक खाद के लिये 2 लाख करोड़ रुपये सबसिडी दी। लेकिन सिंचाई में भारत सरकार ने सिर्फ 20 हजार करोड़ रुपये लगाये। यह असन्तुलन हमारे लिये नुकसानदायक साबित हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक पशुधन का सवाल है भारत में सारे विश्व का 2.2 फीसदी भूभाग है लेकिन जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17 फीसदी है। यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है कि दुनिया में जिो 16 तरह की जलवायु होती हैं वे सभी हमारे देश में हैं। इससे हमारे यहां जैव विविधता बहुत सम्पन्न है। दुनिया की वनस्पतियों की कुल प्रजातियों में से करीब 12–13 प्रतिशत प्रजातियां हमारे देश में हैं। इस प्रकार वनस्पतियों की करीब 48 हजार प्रजातियां हमारे देश में हैं। पशुधन की की करीब 89 हजार प्रजातियां हमारे यहां हैं जो विश्व का 16–17 प्रतिशत हैं। हमारे यहां विभिन्न इलाकों की जलवायु के अनुकूल मवेशियों की नस्लें हैं। गायों में निमाड़ी, केनकठी और मालवी नस्लें उल्लेखनीय हैं। मध्यप्रदेश के बाहर की नस्लें हैं साहीवाल, गिर और थारपारकर। हमारे देशी पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता विदेशी नस्ल के पशुओं से कहीं ज्यादा है। देशी नस्ल की गायें विदेशी नस्ल की गायों से थोड़ा ही कम दूध देती हैं। पर हमें यह याद रखना है कि देशी नस्ल का रखरखाव विदेशी नस्ल की तुलना में काफी कम होता है और इस प्रकार देशी नस्ल की गाय की प्रति लिटर लागत कम होती है। सच तो यह है कि आगे चलकर हमारी हैसियत ट्रेक्टर का उपयोग करने की नहीं रहेगी, इसलिये हमें देशी नस्लों को बचाना होगा। अन्त में श्री शास्त्री ने सलाह दी कि हमें पशुधन को खेती का अभिन्न बनाना चाहिये। हमें औषधीय पौधों के उत्पादन में भी रुचि लेना चाहिये।

कार्यक्रम की **अध्यक्ष श्रीमती अर्चना चिटनीस, विधायिका** ने कहा कि हमारे प्रदेश में जिस मंत्री को सबसे कमजोर विभाग देना हो उसे पशुपालन मंत्री बना दिया जाता है और यही हालत अधिकारियों की भी है। यह असल में प्रदेश का सबसे उपेक्षित विभाग है, जबकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और ग्रामीणों के लिये पशु आजीविका का महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। असल में कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। हमें यह भी याद रखना है कि पशुधन से हमें 44 हजार मेगावाट के बराबर ऊर्जा मिलती है। यदि हम इसमें और बढ़ोतरी करें तो हमारा काफी डीजल बचेगा। जब गोवंश आधारित

व्यवस्था गांव के लिये होगी तभी शहर का पैसा गांव में जायेगा और व्यापार सन्तुलन स्थापित होगा। पशुपालन को यदि हम बढ़ावा दें और उसे व्यवसाय का रूप दें तो उससे सबसे ज्यादा आजीविका पैदा होगी। यह दुख की बात है कि विदेशी नस्लों के सांड़ों का तो वीर्य मिलता है लेकिन देसी नस्लों के सांड़ों का वीर्य उपलब्ध नहीं होता। हम चाहते हैं कि मध्यप्रदेश में नेशनल कैटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट होना चाहिये।

श्रीमती चिटनिस ने दुख प्रकट किया किया कि देश की वेटेरिनेरी कौंसिल निष्क्रिय है। देशा जाता है कि वेटेरिनेरी डाक्टर का व्यक्तित्व और उसका ज्ञान कमजोर होता है। यह जरूरी हे कि उनका उन्मुखीकरण हो। प्रदेश में मवेशी अस्पतालों के भवन नहीं हैं और चिकित्वक भी नाकाफी हैं। विकास की कोई प्रकिया तभी सफल होगी, जब समाज ऐंजिन का काम करेगा। विकास की जिम्मेदारी समाज की भी है।

तदनन्तर शाल और श्रीफल से झाबुआ जिले के कुछ प्रसिद्ध और पारम्परिक पशु वैद्यों का सम्मान किया गया। ये वैद्य थे– ग्राम कुंवारझर के जालू गरवाल वल्द रामा गरवाल, ग्राम रूपगढ़ के वीरालाल चोयल वल्द कोदाजीस चोयल, ग्राम काचरोटिया (माता) के मांगु परमार वल्द रंगजी परमार, ग्राम कोटड़ा (बीरपाड़ा फलिया) के मोहन देवदा वल्द कालू देवदा और ग्राम कास्याखाली के दित्ता सोलंकी वल्द बीजल सोलंकी। ये पारम्परिक पशु वैद्य जंगल की जड़ी–बूटियों के जरिये पिछले कई सालों से आसपास के गांवों की मवेशियों का सफलतापूर्वक उपचार कर रहे हैं।

भोजन के बाद खुली चर्चा का सत्र हुआ। पशुधन विभाग के अवर सचिव डा. अरर. के. शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए पैनल को मंच पर आमंत्रित किया–

1. श्री राजेश गुप्ता– अध्यक्ष
2. श्री चितरंजन त्यागी– वन विभाग
3 श्री लक्ष्मण– सम्पर्क, मध्यप्रदेश
4. श्री शेषमणि– ग्रास संस्था
5. श्री उमेश वशिष्ठ– सी आई डी, ग्वालियर
6. श्री शंकर साहू– महाकोशल आई सी वाय डब्लू सी
7. श्री देशपाण्डे– अतिरिक्त संचालक, वाल्मी, भोपाल

खुली चर्चा में गोविन्दगढ़, रीवा के जगदीश गुप्त ने सुझाव दिया कि

- पशुपालक को सम्मान मिले।
- कम दूध देने वाली देशी गाय के दूध की मात्रा बढ़ाने का उपाय किया जाये।
- हर गांव में सांड़ हो जो किसी व्यक्ति को सौंपा जाये।
- बैल और भैंस के लिये किसान को आर्थिक सहायता मिले।
- गोमूत्र से दवाएं तैयार की जायें।
- मवेशी अस्पताल में डाक्टर और दवाएं हों।

- योजना का विकेन्द्रीकरण किया जाये।
- भ्रष्टाचार का अन्त किया जाये।

ग्रामसुधार समिति सतना के रामकृष्ण मिश्रा ने सुझाव दिया कि

- हर गांव में पर्याप्त चरागाह हो।
- खरपतवार नाशक का उपयोग खत्म हो।
- 5 एकड़ वाले किसान को एक गाय और बैल मुफ्त मिले।
- हर पंचायत में एक मवेशी अस्पताल हों
- शासकीय डेयरी गांव में हो और वहां अच्छे देशी नस्ल की गाय और सांड़ हों।
- सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाये।
- पशुपालक का बीमा हो।
- घरों की मवेशियों का भी बीमा हो।

न्यूसिड के सन्तोष ने कहा कि

- पशुधन के बारे में हम ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों की भी बात करें।
- दुधारू के अलावा अन्य पुशओं पर भी बात हो।
- मधुमक्खी पालन को भी पशुधन नीति में शामिल किया जाये।
- तीतर बटेर का शिकार करने वालों को वैकल्पिक आजीविका दी जाये।

ग्राम सुधार समिति, सतना के रामकुमार तिवारी ने कहा–

- गो पालन को प्रोत्साहना दिया जाये।
- इस बात का प्रचार किया जाये कि देशी गाय का मूत्र ही फायदेमन्द होता है।
- चारे की समस्या के निदान के लिये सरकार भूसा और चारे का भण्डारण करे।
- गोबर गैस की सामूहिक व्यवस्था की जाये।
- बैलों से खेती करने को प्रोत्साहन दिया जाये।

सकरिया जिला सतना ग्रामसुधार समिति के लक्ष्मीनारायण मिश्र ने सुझाव दिया कि

- चरनाई की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाये।
- हर पंचायत में डेयरी की व्यवस्था की जाये ैर दूध संग्रहण करके उससे दुग्ध उत्पाद तेयार कराके बेचने की व्यवस्था की जाये।
- गांव में हर किसान के घर ग्रबर गैस प्लाण्ट अनुदान देकर बनवाये जायें।
- देशी उन्नत नस्ल के सांड़ पशुपालकों को अनुदान में दिया जाये।

- अपने प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां उन्नति किस्म की डेयरियां हैं वे पशुपालकों को दिखायी जायें और पशुपालन की सेमिनार आयोजित करके उसमें पशुपालकों को आमंत्रित किया जाये।
- तालाब का पानी पशुओं के लिये आरक्षित रखा जाये और उससे सिंचाई न की जाये।

राजस्थान से आये शैलेन्द्र तिवारी ने कहा कि

- सार्वजनिक जमीन को मुक्त करने के लिये समुदाय को ही आगे आना होगा और ग्राम प्रचायत को सशक्त होना जरूरी होगा।

सतना जिले की ग्राम सुधार समिति की ललिता रजक ने कहा कि

- गाय के अलावा अन्य जानवर का भी ख्याल रखा जाये।

सम्मेलन में पशुधन नीति के सम्बन्ध में अपने सुझाव देती सरपंच महिला।

सिरमौर ब्लाक की एक महिला ने बताया कि

- गांव की सार्वजनिक जमीन पर बड़ी जाति के लोगों ने कब्जा कर रखा है। न जाने की जगह है और न बकरी चराने की।

न्यूसिड, डिण्डोरी के गणेश की राय थी कि

- सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये।

बुरहानपुर से आये रोशन पाल ने राय दी कि

- किस गरीबों को पशु खरीदने के लिये कर्ज दिया जाये और जानवरों के लिये पानी का माकूल इन्तजाम होना चाहिये।
- इसके अलावा मवेशी डाक्टर की व्यवस्था भी होना चाहिये।

रीवा से आये एक साथी की राय थी कि

- मवेशियों को खुला छोड़ने की प्रथा को बन्द नहीं किया जाना चाहिये।
- खेत तालाब योजना और नंदन कानन योजना को बड़े पैमाने पर किया जाये।

झाबुआ के लक्ष्मणसिंह मुनिया की राय थी कि

- गाय भैंस का महत्व सिर्फ दूध के लिये न माना जाये बल्कि उसे खेती के लिये भी महत्वपूर्ण माना जाये।
- बूचड़खानों पर रोक लगना चाहिये।

बिछिया ब्लाक के शंकर साहू ने कहा कि

- देशी दवा से भी दूध बढ़ सकता है और मवेशियों की बीमारी दूर हो सकती है। उन्होंने मवेशियों की चिकित्सा के अपने अनुभव भी बताये।

ग्राम सुधार समिति सतना के शेषमणि का मत था कि

- गांवों में मवेशियों के लिये गोठान और पानी की व्यवस्था नहीं है।
- पशुपालकों को अपने उत्पाद का मूल्य खुद तय करना चाहिये।
- जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और उन उत्पादों के लिये बाजार उपलब्ध होना चाहिये।

पशुपालकों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथियों की राय जानने के बाद पैनल के सदस्यों ने अपने विचार रखे। **वाल्मी, भोपाल के श्री देशपाण्डे** ने कहा कि पशुपालकों के पेशे की ओर समाज की उदासीनता है। चरागाह, नस्ल सुधार, पानी और मवेशियों के इलाज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पशुपालक के उत्पादों का विपणन ठीक से होना चाहिये और अप्रत्यक्ष उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिये। पशुपालन के लिये जरूरी संसाधनों तक सभी की समान पहुंच होना जरूरी है।

सी आई डी, ग्वालियर के उमेश वशिष्ठ ने कहा कि पशुधन के संदर्भ में सिर्फ वाणिज्यीय नजरिया न होकर मानवीय नजरिया भी होना चाहिये। इस बारे में समाज और व्यवस्था दोनों ही संवेदनशीन दिखते हैं। आजकल खेती घाटे का सौदा हो गयी है इसलिये पशुपालन कम होगा ही। देशी नस्ल की मवेशियों के दूध के लिये समर्थन मूल्य तय किया जानाा चाहिये। दुग्ध उत्पादन समितियां समय पर पशुपालकों को भुगतान नहींय करतीं इससे पशुपालकों को कठिनाई होती है।

वन विभाग के चितरंजन त्यागी ने कहा कि कोई पशुपालन करना चाहता है तो सरकार से उसे क्या अपेक्षा है यह समाज को तय करना होगा। सरकारी तंत्र से यदि समुदाय को काम लेना है तो तंत्र पर प्रभाव डालना होगा। पशुपालक यदि प्रभावित कर सकता है ते तंत्र काम करेगा। हम सेवा को समुदाय के प्रति और कीमतों को बाजार के प्रति जवाबदेह बनाना होगा।

पैनल के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि नीति, उसका क्रियान्वय और उसके लाभ सभी वर्ग तक पहुंचें यही किसी भी नीति का मकसद होता है। पशुपालन खासकर दूध और मांस के लिये ही होता है। यदि खेती में गोबर का उपयोग किया जाये तो न सिर्फ यह किफायती होता है, बल्कि उससे चारा भी मिलता है। एक गांव का उदाहरण देते हुए श्री गुप्ता ने बताया कि किस प्रकार वहां के लोगों ने इस प्रणाली को अपनाया और वहां चारा बढ़ा और दुधारू पशु बढ़े। उन्होंने कहा कि कोई जानवर यदि दूध नहीं भी देता तो वह इसलिये उपयोगी है कि वह अपने बाकी जीवन में करीब 50 हजार रुपये का गोबर देता है।

चाय के बाद समापन सत्र सम्पन्न हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता पेटलावद, झाबुआ की विधायक सुश्री निर्मला भूरिया थी। मंच पर पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक डा. रोकड़े, पशुपालन विभाग के अवर सचिव श्री शर्मा और सम्पर्क के निदेशक श्री निलेश देसाई और मध्यांचल फोरम के श्री तपन थे।

श्री निलेश देसाई ने अध्यक्ष का स्वागत करने के बाद कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और मकसद का उल्लेख करते हुए कहा कि पशुधन नीति का प्रारूप बनाने की प्रक्रिया दो तीन साल से चल रही है और इसके लिये पशुपालकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों की पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं प्रदेश भर में की गयीं। राज्य में पशुधन नीति न होने की वेदना पशुपालक, सरकारी अधिकारी सभी को है। यह विभाग उपेक्षित है लेकिन पशुधन की अनी अहमियत है इसलिये विभाग को भी सशक्त बनाना

होगा। पशुधन के हित अन्य विभागों से भी जुड़े हैं लेकिन इन सबमें समन्वय की कमी दिखती है, जिसे दूर करना है। प्रदेश में 6 प्रकार के एग्रो इकानामिक जोन हैं इसलिये एक तो पशुधनय नीति में क्षेत्रीय विशेषताओं का ध्यान रखना होगा। दूसरे देशज ज्ञान और देशी नस्ल को तरजीह देना होगा और तीसरे, गांव की सार्वजनिक भूमि पर दबाव तथा अतिक्रमण रोकना होगा। यह अच्छी बात है कि शासन और समाज दोनों एक साथ बैठकर समस्या के निदान और पशुधन के हित के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीति बनायी जा सके।

पशुपालन विभाग के **अवर सचिव श्री शर्मा** ने कहा कि शासकीय स्तर पर काम करते समय कुछ सीमाएं होती हैं लेकिन लोक भावना ऐसे ही कार्यक्रमों में उभरती है। इसमें सन्देह नहीं कि समुदाय की आवाज महत्वपूर्ण होती है। यह अच्छी बात है कि शासकीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि इस बात पर एकमत हैं कि पशुधन नीति समुदाय की सहायता से बनना है और उसमें प्रक्रिया सरकार की होगी। मध्यप्रदेश में वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों, अधिकारियों, मैदानी कर्मचारियों सभी का मत लिया गया और पशुधन नीति का प्रारूप आपके सामने लाने के लिये तैयार किया गया है। इसके बारे में सही दिशा जनता से ही मिलेगी। ऐसी स्थिति में समुदाय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यह देखना होगा कि ग्राम सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग जायें और ग्रामसभाएं ताकतवर बनें। ग्रामसभा में पशुपालन से संबंधित मुद्दे उठाये जाने चाहिये। सम्पर्क ने पिछले दिनों पशुधन नीति के बारे में जो पहल की है उससे विभाग का हौसला भी बढ़ा है। जब आपके सामने प्रारूप रखा जाये तो अपना अभिमत जरूर दें।

समापन सत्र की **अध्यक्ष सुश्री निर्मला भूरिया** ने कहा कि आप लोगों ने पशुधन नीति के बारे में यह सुझाव तो दिया ही होगा कि सरकार कैसी पशुधन नीति बनाये। यह बात ठीक है कि जैसा इलाका हो, जैसे लोग हों उसके अनुसार सरकार उन्हें गाय दे।

पशुधन संचालनालय के संयुक्त संचालक **डा. रोकड़े** ने कहा कि पशुपालन महत्वपूर्ण है। महाभारत के एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए श्री रोकड़े ने बताया कि नीति इसलिये जरूरी है कि जिससे जनहित में काम हो सके।

मध्यांचल फोरम के श्री तपन ने सभी को धन्यवाद दिया और कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा की।

निष्कर्षतः यह कार्यशाला बहुत उपयोगी रही। पहली बार प्रदेश के पशुधन के बारे में सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, पशुपालकों, तकनीशियनों ने मिलकर गंभीरता से विचार किया। चर्चा में महसूस किया गया कि मध्यप्रदेश में पशुधन तो काफी है लेकिन उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की तादाद समग्र देश की तुलना में अपेक्षाकत कम हैं। इसके लिये ऐसी पशुधन नीति बनाना जरूरी होगा जो सभी पहलुओं का ध्यान रखे। मध्यप्रदेश की विभिन्न नीतियों में पशुधन से संबंधित जो प्रावधान हैं उनके लाभ भी राज्य की पशुधन नीति में शामिल किये जाने चाहिये। इन सभी विभागों की नीतियों का समन्वय करने के लिये पशुधन विभाग को पहल करना चाहिये। सभी का मत था कि कृषि लाभकारी तभी होती है जब उसे पशुपालन की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। हमें पशुधन को खेती का अभिन्न बनाना

चाहिये। यह भी जरूरी है कि पशुधन नीति में नयी तकनालाजी का समावेश हो और इसमें आम लोगों की भागीदारी भी हो।

गांवों में चरनोई की जमीन पर जो अतिक्रमण हुए हैं उन्हें वह सख्ती से हटाना जरूरी है। सार्वजनिक जमीन को मुक्त करने के लिये समुदाय को ही आगे आना होगा और इसके लिये ग्राम प्रचायत को सशक्त होना जरूरी होगा। सरकार से अपेक्षा की गयी कि वह पशुधन विभाग प्रदेश को ज्यादा सशक्त और साधन सम्पन्न बनाये। हमारे देशी पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता विदेशी नस्ल के पशुओं से कहीं ज्यादा है। इसलिये सरकारी नीतियों में विदेशी नस्लों को तरजीह न देकर देशी नस्ल की अच्छी किस्मों को प्रोत्साहन देना चाहिये। प्रदेश में अलग–अलग प्रकार के एग्रो इकानामिक जोन हैं इसलिये पशुधन नीति में क्षेत्रीय विशेषताओं का ध्यान रखना होगा। देशज ज्ञान और देशी नस्ल को तरजीह देना होगा। यह भी स्वीकार किया गया कि पशुपालन नीति के लिये सही दिशा जनता से ही मिलेगी। ऐसी स्थिति में समुदाय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

———————